कार्यालय जिला परियोजना प्रबन्धक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आपणी योजना परिसर, चूरू
ई–मेलः– dpm.rrlpchuru@ gmail.com
दूरभाषः– 01562–250836
क्रमांकः– डीपीएमयू/चूरू/लेखा/2016–17/4214
दिनांक– 9-3-17

बोली सूचना

राजीविका द्वारा संचालित परियोजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (विश्व बैंक द्वारा पोषित) हेतु वर्ष 2017–18 के लिये निम्नलिखित सेवाओं के आपूर्ति कार्य हेतु मोहर बन्द लिफाफों में इच्छुक पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र सं.	आपूर्ति की जाने वाली सेवा का नाम	संख्या	अनुमानित राशि (लाखों में)	अमानत राशि रू.	बोली जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	बोली खोलने की तिथि व समय
1	मशीन विद कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	2.05	4100	24.03.2017 दोपहर 2.00 बजे तक	24.03.2017 दोपहर 3.00 बजे
2	बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ता	02	0.96	1920		

इच्छुक रजिस्टर्ड एजेन्सियां इस कार्यालय से दिनांक 23.03.2017 को दोपहर 5.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में रू. 400/– बैंकर चैक के रूप में बोली शुल्क जमा कराकर बोली प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। बोलीदाताओं द्वारा पूर्ण रूप से भरी हुई तकनीकी एवं वित्तीय बोली पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी बोली में सफल पाये जाने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी। विस्तृत बोली शर्ते इस कार्यालय में उपस्थित होकर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

जिला परियोजना प्रबन्धक
राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना
जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, चूरू

क्रमांकः– डीपीएमयू/चूरू/लेखा/2016–17/4215–20
दिनांक– 9-3-17

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान् परियोजना निदेशक राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, चूरू।
3. वित्तीय सलाहकार राजीविका जयपुर।
4. डा. मनोज कुमार प्रबन्धक (एम.एण्ड.ई.) एवं प्रभारी अधिकारी विभागीय वेबसाईट को प्रेषित कर निवेदन है कि बोली सूचना एवं बोली प्रपत्र मय शर्तें राज्य लोक उपापन पोर्टल एव विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करावें।
5. समस्त ब्लॉक प्रभारी राजीविका चूरू को प्रेषित कर लेख हैं कि बाली सूचना को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
6. नोटिस बोर्ड नगर पालिका चूरू/कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली।

जिला परियोजना प्रबन्धक
राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना
जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, चूरू

कार्यालय जिला परियोजना प्रबन्धक,
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्
जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई,चूरू

पताः–भालेरी रोड़, आपणी योजना परिसर, चूरू

दूरभाष नम्बर :– 01562–250836

ई–मेलः– **dpmrrlpchuru@gmail.com**

बोली प्रपत्र
प्लेसमेन्ट एजेन्सी के चयन हेतु

बोली विक्रय करने की अंतिम दिनांक व समय :– 23.03.2017 को 05:00 पी.एम. तक

भरी हुई बोली प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक व समयः– 24.03.2017 को 2:00 पी.एम. तक

बोली खोलने की दिनांक व समय :– 24.03.2017 को 3:00 पी.एम.

मूल्य– 400 / – रूपये

कार्यालय जिला परियोजना प्रबन्धक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आपणी योजना परिसर, चूरू

दूरभाषः– 01562–250836
ई–मेलः– dpmrrlpchuru@gmail.com

बोली–प्रपत्र–प्रथम
(तकनीकी प्रस्ताव)
(लिफाफा प्रथम में रखा जावें)

1. प्लेसमेंट एजेन्सी के लिए बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली प्लेसमेंट एजेन्सी का विवरणः–

   एजेन्सी का नाम ....

   डाक का पूरा पता..

   ....

   दूरभाष नम्बर कार्यालय.................................... निवास....................................

   ई–मेल..
3. (अ) बोली प्रपत्र हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता ....

   ....

   (ब) किस हैसियत (यथा पार्टनर/मालिक/अधिकृत ठेकेदार/मैनेजर/सचिव) से हस्ताक्षर किये है।

   (स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किये है–हां या नही
4. किसको सम्बोधित कियाः–

   जिला परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, चूरू
5. संदर्भ–बोली सूचना क्रमांक – डीपीएमयू/चूरू/लेखा/2016–17/............ दिनांक ....
6. हम जिला परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, चूरू द्वारा जारी बोली सूचना क्रमाक .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
7. एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न है :–

   (अ) श्रम विभाग राजस्थान एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत होने के प्रमाण–पत्र की प्रति।

   (ब) संस्था गैर सरकारी संस्था के रूप में सोसायटी एक्ट 1958 के अनुसार पंजीकृत है की प्रति।

   (स) पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सी/संस्था को कम से कम तीन वर्षो का राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशाषी निकायों में कार्मिक उपलब्ध कराने का अनुभव प्रमाण–पत्र।

(द) एजेन्सी के पंजीयन की प्रति जिसमें एजेन्सी के मूलभूत उद्देश्य/लक्ष्य अंकित है।

(य) एजेन्सी/संस्था का पिछले 3 वर्षो (वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16) का औसत वार्षिक टर्न ओवर ;न्यूनतम 20 लाख रूपये होना चाहियेद्ध जो नियमानुसार सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण किया गया हो तथा बोली के साथ तीनों वर्षों की अंकेक्षण रिपोर्ट जिस में फर्म की वित्तीय स्थिति के प्रपत्र हो।

(र) सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रति

(ल) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर कार्ड प्रति

(व) संस्था के काली सूची (ब्लेक लिस्टेड) नही होने का शपथ पत्र

8. बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या ....दिनांक ....
रूपये ..../– जो..(बैंक का नाम) द्वारा जारी है, अमानत राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।

9. बोली के साथ संस्था/एजेन्सी के पास संलग्नक प्रारूप के अनुसार संस्था के पास कार्य कर रहे कार्मिकों की सूची मय पूर्ण विवरण (शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता एवं अनुभव सहित) संलग्न कर दिया गया है।

10. जिस कार्य के लिए बोली प्रस्तुत की जा रही है उसके सम्बन्ध में दर्शाया गया कार्य एजेन्सी/कार्मिक द्वारा समझ ली गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण एवं संलग्न प्रपत्र पूर्णतः सत्य है। असत्य पाये जाने पर प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकेगा तथा विभाग किसी भी कार्यवाही हेतु सक्षम होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम...
संस्था/फर्म का पूरा पता :–................
....
....

कार्यालय जिला परियोजना प्रबन्धक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आपणी योजना परिसर, चूरू

मेल:– dpmrrlpchuru@gmail.com
दूरभाष:– 01562–250836

बोली–प्रपत्र–द्वितीय
(वित्तीय प्रस्ताव)
(लिफाफा द्वितीय में रखा जायें)

जॉब बेसिस सेवाओं का वित्तिय बोली प्रपत्र

1. बोली प्रस्तुत करने वाली प्लेसमेंट एजेन्सी का नाम, डाक का पता व टेलिफोन नम्बर।
....
....
....
2. संदर्भ – बोली सूचना क्रमांक डीपीएमयू/चूरू/संस्थापन/2016–17/.............. दिनांक ....
3. संस्था द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर मैन विद मशीन एवं बहुद्देशीय कार्यकर्ता की सेवाएं निम्नानुसार अंकित दरों पर दी जाएगी।

क्र. सं.	आपूर्ति की जाने वाली सेवा का नाम	पदों की संख्या	न्यूनतम योग्यता व अनुभव	सेवाओं के लिए प्रस्तावित राशि प्रति व्यक्ति प्रति माह (रू.)		वि. वि.
				अंकों में	शब्दों में	
1.	मशीन विद कम्प्यूटर आपरेटर	02	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार **Computer**- Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software license will be borne by the contractor. **Printer**- Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/Inkjet printer may be taken in lieu of laser printer **UPS**- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup. **Manpower**-The personal should be graduate, should have knowledge to operate computer in windows/linux environment good knowledge/ practice in word processor, spread sheets and internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English			
2.	बहुउद्देशीय कार्यकर्ता	02	आठवीं पास तथा कार्यालय में कार्य करने का अनुभव			

4. हम जिला परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, चूरू द्वारा जारी बोली सूचना संख्या डीपीएमयू/चूरू/संस्थापन/2016–17/........... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तों से भी बाध्य होना स्वीकार करते है। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।
5. उक्त उद्धत की गई दरें अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य है। उक्त दरों में समस्त व्यय/कर शामिल है। अनुबन्ध अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम...

संस्था/फर्म का पूरा पता :–...............

....

....

कार्यालय जिला परियोजना प्रबन्धक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आपणी योजना परिसर, चूरू
दूरभाषः– 01562–250836
मेलः– dpmrrlpchuru@gmail.com

बोली–नियम एवं शर्ते

(लिफाफा प्रथम में रखा जावें)

टिप्पणीः– बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलीयाँ भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. बोलीं को इस हेतु जारी सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करना चाहिए।
2. प्रस्तावित दरें अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा। प्रस्तावित दरों में समस्त प्रकार के व्यय/कर शामिल करें। प्रस्तावित दरों के अतिरिक्त विभाग द्वारा किसी प्रकार का अन्य कोई भुगतान नही किया जाएगा।
3. बोलीया दो मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफे पर तकनीकी प्रस्ताव एवं द्वितीय लिफाफे पर वित्तीय प्रस्ताव पृथक–पृथक रूप से प्रस्तुत करने होंगे। लिफाफों के ऊपर प्लेसमेन्ट एजेन्सी हेतु तकनीकी प्रस्ताव/प्लेसमेन्ट एजेन्सी हेतु वित्तीय प्रस्ताव बोलीदाता द्वारा दोनों लिफाफों पर अंकित किया जाना आवश्यक है। अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चैंक प्रथम लिफाफे में तकनीकी प्रस्तावों के साथ संलग्न किया जाना है। दोनो प्रस्ताव एक ही लिफाफे में होने पर बोली निरस्त कर दी जावेगी मूल्यांकन समिति द्वारा सर्व प्रथम तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जावेगा। उनमें वैध पाई गई बोलीयों के ही वित्तीय प्रस्ताव खोलकर मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज तकनीकी प्रस्तावों के साथ संलग्न करने हैं। दोनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफें में बन्द कर प्रस्तुत किया जावे।
4. सफल बोलीदाता को वित विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ9(1)एफडी–(1)/बजट/2004 जयपुर दिनांक 28.02.2008, प.1(4)वित्त/नियम/2011/जयपुर दिनांक 17.06.2011 एवं सर्कुलर क्रमांक एफ9(1)एफडी–1(1) बजट 2012 जयपुर दिनांक 01.05.2014 एवं 01.07.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं संलग्न शर्तो के अनुसार मैन विद मशीन की सेवाएं उपलब्ध करवानी होगी। मशीन के निर्धारित स्पेशीफिकेसन के अनुसार निर्धारित समस्त उपकरण स्थापित करने होंगे।
5. संस्था/प्लेसमेन्ट एजेन्सी का नियमानुसार श्रम विभाग, एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। बोली प्रस्तुत करते समय एजेन्सी उक्त रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।
6. संस्था/प्लेसमेन्ट एजेन्सी को कम से कम तीन वर्षों का राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कार्पोरेशन/स्वायतशाषी निकायों में कार्मिक उपलब्ध कराने का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु एजेन्सी अनुभव प्रमाण–पत्र/आदेशों/अनुबंधों की प्रतियां बोली के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें। इनके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।
7. गैर सरकारी संस्था/प्लेसमेन्ट एजेन्सी अपने पंजीयन की प्रति जिसमें एजेन्सी के मूलभूत उद्देश्य/लक्ष्य अंकित हो बोली के साथ संलग्न करें।
8. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति सेवाकर रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

एजेन्सी/संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षो का सनदी लेखाकार से अंकेक्षण किया गया हो तथा अंकेक्षण रिपोर्ट जिसमें एजेन्सी की वित्तीय स्थिति (Balance Sheet Etc.) प्रपत्र संलग्न हो, प्रस्तुत करना होगा। संस्था का पिछले तीन वर्षो (वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) का औसत टर्न ओवर 20.00 लाख रूपये होना चाहिए।

10. एजेन्सी संस्था द्वारा जिस कार्य के लिये बोली प्रस्तुत की गई है के लिए कार्मिकों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें। एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाए गए कार्मिकों की पहचान एवं पता से सम्बन्धित जानकारी की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी एवं इसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करवानी आवश्यक होगी।
11. वर्तमान में रजिस्टर्ड कार्मिको की सूची बायोडेटा का विवरण संलग्न करना होगा।
12. वर्तमान में विभाग द्वारा नीचे अंकित स्थानों पर कम्प्यूटर ऑपरेटर मैन विद मशीन एवं बहुदेशीय कार्यकर्ता की सेवाएं ली जाएगी।

क्र. सं.	कार्यालय	मुख्यालय	कम्प्यूटर ऑपरेटर मैन विद मशीन	बहुदेशीय कार्यकर्ता
1	डीपीएमयू, चूरू	चूरू	01	01
2	डी.आर.सी. ऑफिस	चूरू	01	01
	कुल		02	02

वर्तमान में उक्त सेवाएं उपरोक्त स्थानों पर ली जाएगी। भविष्य में विभाग द्वारा चाहे अनुसा सेवाओं की संख्या में कम/अधिक संख्या में सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार जिला परियोजन प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, चूरू को होगा। यदि अतिरिक्त सेवाओं की आवश्यकता होगी तो अनुमोदित एजेन्सी को इन्ही दरों पर उक्त अतिरिक्त सेवाएं भी उपलब्ध करवानी होगी। अतिरिक्त सेवाओं का स्थान चूरू जिले में किसी भी स्थान पर हो सकता है।

13. उपलब्ध करवाई जाने वाली कम्प्यूटर ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की सेवाओं में शैक्षणिक योग्यत स्नातक के साथ कम्प्यूटर के मूलभूत ज्ञान(अधिकृत कोर्स) हिन्दी व अंग्रेजी में टंकण ज्ञान तथ कम्प्यूटर हार्डवेयर, सोफ्टवेयर का ज्ञान होना आवश्यक है। मल्टीपरपज सेवाओं हेतु शैक्षणिक स्त आठवीं होना आवश्यक है। जिला परियोजना प्रबन्धक, चूरू द्वारा एजेन्सी के कार्मिकों की योग्यत का परीक्षण कर ही लगाया जायेगा। यदि एजेन्सी योग्य कार्मिकों को लगाने में असमर्थ रहती तो जिला परियोजना प्रबन्धक, चूरू द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी जिसका व्यय वहन संस्थ को करना होगा।
14. जिला कार्यालय चूरू द्वारा एजेन्सी को चैक से भुगतान किया जाएगा तथा एजेन्सी भी कार्मिक को रेखांकित चैक द्वारा भुगतान करेगी। यदि एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाए गए कार्मिकों से कि भी प्रकार की देरी या कम भुगतान से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत जॉ उपरान्त शिकायत सही पाये जाने पर संस्था का अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
15. आयकर की कटौती इस कार्यालय द्वारा भुगतान करते समय ही काट ली जावेगी।
16. अनुमोदित प्रदायक के बारे में यह समझा जावेगा कि उसके द्वारा बोली की शर्ते भली भांति सम ली गई है यदि कोई संदेह हो तो प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर दूर करें।
17. बोलीदाता अपनी बोली अथवा उसके भाग को अन्य किसी एजेन्सी को नही सौंपेगा।
18. बोलीदाता बोली स्वीकृति के बाद कार्य आदेश मिलने के एक सप्ताह में निर्धारित बताए गए स्था पर कर्मचारी उपलब्ध करा देगा।
19. बोली में दर्शाई गई दरों में किसी प्रकार की कांट–छांट न की जावें। यदि कोई त्रुटि हो तो स्प रूप से अंकित कर अपने लघु हस्ताक्षर करें।
20. बोलीदाता बोली की शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वीकृति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर करें।

बोली के साथ अनुमानित व्यय का दो प्रतिशत बोली सूचना में अंकितानुसार अमानत राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **जिला परियोजना प्रबन्धक, चूरू** के नाम से देय हो तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा। इसके अभाव में संस्था/एजेन्सी को अयोग्य मानते हुये उसका वित्तीय प्रस्ताव नही खोला जायेगा।

22. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रारूप में 500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबंध निष्पादित करना पड़ेगा और बोली की यथावत क्रियान्विति के लिए कुल वार्षिक मानदेय राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी जो अनुबंध की सफलतापूर्वक समाप्ति के दो माह पश्चात लौटा दी जावेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नही दिया जावेगा।
23. बोली को स्वीकार करने में यह आवश्यक नही कि यह न्यूनतम हो। क्रय एवं मूल्यांकन समिति को किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
24. बोली की शर्तो का पालन न करने पर अनुबंध तुरन्त समाप्त कर दिया जावेगा तथा भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली बोलीओं में भाग लेने से रोक लिया जावेगा एवं उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं एजेन्सी का होगा। एस.डी. भी जब्त कर ली जायेगी तथा संस्था को काली सूची में शामिल (ब्लेक लिस्टेड) भी किया जा सकेगा।
25. संविदा के सम्बन्ध में उत्पन्न हुए सभी मतभेदों पर निर्णय का अधिकार जिला परियोजना प्रबन्धक, चूरू के पास सुरक्षित रहेगा। जिसका निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।
26. एजेन्सी/संस्था किसी भी कार्मिक को विभाग के अनुमोदन के बिना नही हटा सकेगी एवं न ही स्थान परिवर्तित कर सकेगी। इस हेतु एजेन्सी को कम से कम 1 माह पूर्व नोटिस देना होगा परन्तु एजेन्सी/संस्था के कार्मिक द्वारा सन्तोषप्रद कार्य नही करने पर विभाग उसे तुरन्त हटाने हेतु सक्षम होगा।
27. एजेन्सी पूर्व में ब्लेक लिस्टेड नही की गई है। इस आशय का शपथ पत्र एजेन्सी द्वारा 10 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
28. एजेन्सी द्वारा जो भी व्यक्ति सेवा हेतु उपलब्ध करवाए जायेंगे उन्हें सामान्यतः कार्य दिवस में 9.30 बजे उपस्थित होना होगा एवं सायं 6.00 बजे तक उपस्थित रहकर निर्धारित सेवाएं प्रदान करनी होगी। उक्त समय से पूर्व/पश्चात राज पत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पडती है तो उक्त सेवाओं को तदनुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। अनुपस्थिति की दशा में नियमानुसार कटौती की जाएगी।
29. अनुबन्धकर्ता के स्तर पर उपलब्ध करवाये गये सेवार्थियों का चाल-चलन/चरित्र अच्छा होना चाहिए एवं उनके संबंध में अनुबन्धकर्ता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। सेवार्थियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
30. उपलब्ध करवाई गई सेवाओं हेतु रखे गए सेवार्थी के राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पी.एफ. व ई.एस.आई. तथा समस्त कानूनी दायित्व अनुबन्धकर्ता/सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली संस्था के होंगे। विभाग का इस बाबत् कोई दायित्व नही होगा।
31. अनुबन्धित सेवा के कार्य का विवरण संलग्न है जिसके अनुसार सेवार्थी को कार्य संपादित करने होंगे। अधिकतम दर मैन विद मशीन 8500 रू. व बहुउदेश्य कार्यकर्ता हेतु 4000 रू. प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति है।
32. बोली दाता को प्रत्येक माह की 1 तारीख को संविदा बिल प्रस्तुत करना होगा अवकाश की दशा अगले कार्य दिवस को संविदा बिल प्रस्तुत करना होगा तथा विभाग से भुगतान प्राप्त होने के

आगामी दिन संबंधित सेवार्थियों को बैंक के द्वारा भुगतान करना होगा तथा भुगतान पत्रक दस दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

33. सेवाप्रदाता द्वारा दिये गये व्यक्ति परियोजना में स्थाई रूप से कार्य करने के लिये कोई दावा प्रस्तुत नही करेंगे।

34. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र चूरू होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(नाम):–..

संस्था/फर्म का पता:–..

....

....

बोलीदाता द्वारा घोषणा

उपरोक्त सभी शर्तें मैंने/हमने ध्यान पूर्वक पढ़ली है और मुझें/हमें उक्त सभी शर्तें स्वीकार है। जिला परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् चूरू द्वारा किया गया निर्णय मेरे / हमारे लिये सर्वोपरि होगा।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपह्रत कर ली जावेगी तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, उसे रद्द भी किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा किये जाने वाले कार्यः–

1. टैली सॉफ्टवेयर में लेखा संधारण
2. कम्प्यूटर पर मासिक प्रतिवेदन तैयार कर भिजवाना
3. कम्प्यूटर पर एम.आई.एस. पत्रावलियों का संधारण
4. विभाग की ई–मेल, फैक्स आदि प्राप्त कर संबंधित को सुपुर्द करना तथा प्रत्युत्तर भिजवाना।
5. समस्त प्रकार का अंग्रेजी व हिन्दी टंकण कार्य।
6. कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा वर्ड व एक्सल में निर्देशानुसार रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय की मेल पर भिजवाना।
7. उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों की पालना करना।

उपरोक्त कार्य महज सूचक हैं। उपलब्ध करवाये गये स्टाफ को उच्च अधिकारियों द्वारा बताये गये सभी कार्य करने होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम...

संस्था/फर्म का पूरा पता :–.............................

....

....

बहुउद्देशीय कार्यकर्ता द्वारा किये जाने वाले कार्य:–

1. कार्यालय समय पर खोलने एवं बन्द करने का कार्य।
2. कार्यालय कक्षो की साफ–सफाई का कार्य करना।
3. डाक एवं पत्रावली कलेक्ट्रट, जिला परिषद् एवं बैक तथा संबंधित विभागों को पहुंचाने एवं लाने का कार्य करना।
4. जलपान सम्बन्धित व्यवस्था में सहयोग करना।
5. उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों की पालना करना।

उपरोक्त कार्य महज सूचक हैं। उपलब्ध करवाये गये स्टाफ को उच्च अधिकारियों द्वारा बताये गये सभी कार्य करने होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम..

संस्था/फर्म का पूरा पता :–..........................

....

....